न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

निर्वाचन अपील सं. 18/2020

अपीलांट्स–	*बनाम*	रेस्पोडेंट–
1. गौतमचंद पुत्र नेमीचंद 2. मांगीलाल पुत्र शंकरलाल जाति जैन निवासी रामसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) रामसर जिला बाड़मेर

निर्वाचन अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक 1238 दिनांक 30.06.2020 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) रामसर जिसके तहत ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से मतदाताओं के नाम हटाये जाने का पारित किया गया।

उपस्थिति :–

श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 11/09/2020

1. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि आक्षेपकर्तागण ग्रामवासी रामसर द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) रामसर के समक्ष दिनांक 09.06.2020 को शिकायत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विधानसभा शिव की ग्राम पंचायत रामसर के महाजनो का पाड़ा में कई ऐसे परिवार हैं जो लगभग 25–30 वर्ष से रामसर से स्थानान्तरण होकर कई दूसरे शहर में निवास कर रहे है और हमें संदेह हैं कि उक्त लोगों ने अपने वोटर आईडी वर्तमान निवास स्थान पर भी बना रखे है, इसलिये उक्त नामों का सत्यापन टीम गठित कर करवाया जावें एवं निर्वाचक नामावली से पृथक किये जावें। इस पर क्षेत्र के लिये नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा अपनी अभिशंषा एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) रामसर द्वारा आक्षेप स्वीकार करते हुए अपीलांट्स व अन्य के नाम मतदाता सूचि से विलोपित करने का आदेशाधीन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:25 IST
Reason: SelfAttested

आदेश पारित कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील संयुक्त रूप से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

3. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) रामसर द्वारा अपीलांट्स के नाम मतदाता सूचि से पृथक करने के अपीलाधीन आदेश द्वारा राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं राज्य निर्वाचन आयोग के बाध्यकारी प्रावधानों एवं निर्देशों को नजर अंदाज कर द्वेष भावना पूर्वक कार्यवाही की गई हैं जो निरस्त योग्य हैं। अपीलांट्स ग्राम पंचायत रामसर के मूल निवासी हैं एवं उनका कारोबार, रहवास एवं चल–अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत रामसर में ही अवस्थित हैं। अपीलांट्स एवं अन्य अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित मतदाताओं द्वारा विभिन्न निर्वाचनों में अपने मत का प्रयोग इसी ग्राम पंचायत में किया गया हैं किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर षडयंत्रपूर्वक तरीके से बिना अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय कार्यवाही के द्वारा अपीलांट्स के नाम ग्राम पंचायत रामसर की मतदाता सूची से विलोपित करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। अधिनस्थ अधिकारी द्वारा राजनैतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध पारित किये गये है जो अपास्त [illegible] है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाये जावें एवं अपीलांट्स के नाम ग्राम पंचायत रामसर की मतदाता सूची मे यथावत रखे जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

4. हमने अपीलांट्स के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) रामसर से प्राप्त मूल अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि आक्षेपकर्तागण द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर क्षेत्र के लिये नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की टिप्पणी रिपोर्ट प्राप्त की गई हैं एवं अपीलाधीन आदेश के द्वारा आक्षेप स्वीकार कर अपीलांट्स सहित अन्य मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत रामसर की मतदाता सूची से विलोपित करने का आदेश पारित किया गया हैं। ग्रामवासियों की ओर से दिनांक 09.06.2020 को प्रस्तुत शिकायत पर अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा यह टिप्पणी अंकित की गई हैं कि "सम्बन्धित बीएलओ 3 दिन में जांच कर विस्तृत रिपोर्ट करें। दोहरे नाम होने पर फॉर्म नं. 7 प्रस्तुत करें।" इसके पश्चात दिनांक 23.06.2020 को पुनः प्रस्तुत की गई शिकायत पर भी टिप्पणी अंकित की गई है कि "बीएलओ उपरोक्त नामों की रामसर के स्थायी निवास नहीं होने की जांच कर नाम हटाने हेतु फार्म न. 02/07 भरकर पेश करें अथवा हटानें की अनुशंषा पेश करें।" उक्त टिप्पणियों से प्रतीत होता हैं कि अधिनस्थ प्राधिकारी अपीलांट्स के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे हैं। अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति को आक्षेप पर सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20(1) के परन्तुक में यह बाध्यकारी प्रावधान किया गया हैं कि – "किसी व्यक्ति ने मामूली तौर पर अपना निवास का स्थान बदल दिया है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या अन्य किसी कारण से उस मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत [illegible] अन्यथा हमदार नहीं हैं तो इस सम्बन्ध में राज्य [illegible] सामान्य या विशेष निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए उस [illegible] को संशोधित करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई करने का एक युक्तियुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अवसर देगा''। इस प्रकार अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा उक्त विधिक प्रावधान का पालन किया जाना नहीं पाया जाता हैं। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में ग्राम पंचायत रामसर के किस वार्ड संख्या एवं क्रम संख्यांक वाले मतदाताओं के नाम हटाये जाने का आदेश दिया गया है, अपीलाधीन आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, मात्र बीएलओ की सूची के क्रमांक ही अंकित किया गया हैं। इस प्रकार अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रथम तो अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने से प्रक्रियात्मक त्रुटि की है, जिससे अपीलार्थी की जानकारी के बिना उसका नाम मतदाता सूचि से हट गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना नहीं करना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया हैं तथा इस आधार पर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचनं एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) रामसर द्वारा ग्राम पंचायत रामसर की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम पृथक किये जाने का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता हैं ।

6. निर्णय आज दिनांक 11.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:25 IST
Reason: SelfAttested